27/8/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप./प्रार्थी पर प्रार्थना आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से खारिज हो

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/68

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 43 (GCMS No. 2021/68) दायर दिनांक : 17.03.2021

1. उमा देवी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चक जोड़ पो.ऑ. अर्जनसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर (राज.)
2. कालूराम
3. कुनणराम
4. गोविन्दराम
5. भवानीशंकर

(2 से 5) पुत्र/पुत्रीयान सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चक जोड़ पो.ऑ. अर्जनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र आईदान जाति ब्राह्मण निवासी अर्जनसर रेलवे स्टेशन के पास तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर (राज.)
2. तोलाराम पुत्र आईदासन फौत जरिये वारिसान :–

2/1 मनीराम पुत्र तोलाराम जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टैण्ड अर्जनसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर

2/2 कन्हैयालाल पुत्र तोलाराम फौत जरिये वारिसान :–

2/2/1 लक्ष्मीनारायण
2/2/2 बृजलाल

(2/2/1 व 2/2/2) पिसरान कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टेण्ड अर्जनसर

2/3 हनुमानप्रसाद
2/4 शंकरलाल

(2/3 व 2/4) पुत्रगण तोलाराम जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टेण्ड अर्जनसर

2/5 तुलछीदेवी पुत्री तोलाराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मैन बाजार अर्जनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर (राज.)

2/6 शरबती पुत्री तोलाराम पत्नी मनीराम जाति ब्राह्मण निवासी डीडवाना ग्राम पंचायत सिंगरासर तहसील सूरतगढ़

2/7 शांति पुत्री तोलाराम पत्नी श्रवणराम एडवोकेट जाति ब्राह्मण निवासी लूणकरनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर (राज.)

2/8 सावित्री पुत्री तोलाराम पत्नी श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी देवनगर ग्राम पंचायत तोलासर मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 2 पर

3. सीमा पुत्री सत्यनारायण पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 5 कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

4. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री श्याम चाण्डक व श्री संजीव कालिया, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1, 2/1, 2/2/1 ,2/2/2, 2/3 ता 2/8
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 27.08.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने वाद—पत्र के साथ यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/दादा तोलाराम व अप्रार्थी सं. 3 के नाम से चक 110 आर.डी. एल. के पत्थर नं. 128/24 (44) के किला नं. 1/52 में 0.126, 16/2 में 0. 228, 24/1 में 0.101, 25/0.253=0.708 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 व पत्थर नं. 128/32 (45) के किला नं. 10/1 में 0.228, 11/0.253, 20/2 में 0.240=0. 721 हैक्टर अ0क0 व पत्थर नं. 129/17 (55) के किला नं. 5/0.253 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.682 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा में से 5/6 हिस्सा ब.हि.बराबर व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/8 के पिता/दादा का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 का 1/3 हिस्सा में 1/6 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड हे। उक्त संयुक्त खाता में तोलाराम पुत्र आईदान का स्वर्गवास हो चुका है। उसके स्थान पर उसके जायज वारिसान 2/1 ता 2/8 के रूप में पक्षकार संयोजित है। इनका संयुक्त खाता में 1/3 हिस्सा बनता है। संयुक्त खाता में सहकाश्तकारों की संख्या बढ़ जाने से प्रार्थीगण को अपने हिस्सा की भूमि का विकास करने में अनके प्रकार की बाधाए आती है। प्रार्थी[illegible] अप्रार्थीगण का रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने से अप्रार्थीगण [illegible] भूमि को रहन, बैचान करने पर उतारू है। यदि उन्होंने अच्छी भूमि का [illegible] कर लिया तो प्रार्थीगण का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना[illegible] स्वीकार कर जैरप्रकरण रकबा में अप्रार्थीगण किसी तरह की दखलदांजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवायें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 23.06.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक वाके चक 110 आर.डी.एल. के पत्थर नं. 128/24 (44) के किला नं. 1/52 में 0.126, 16/2 में 0.228, 24/1 में 0.101, 25/0.253=0.708 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 व पत्थर नं. 128/32 (45) के किला नं. 10/1 में 0.228, 11/0.253, 20/2 में 0.240=0.721 हैक्टर अ0क0 व पत्थर नं. 129/17 (55) के किला नं. 5/0.253 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.682 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि को रहन, बैय व किसी प्रकार से हस्तान्तरण ना करने तथा किसी प्रकार की दखलदांजी ना तो स्वयं करें तथा ना ही किसी अन्य से करवाने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजुद सूचना उपस्थित नही आने पर अप्रार्थी सं. 2/2/2, 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अभिभाषक श्री शिशपाल शर्मा ने अप्रार्थी सं. 1, 2/2/1, 2/2/2, 2/3 ता 2/8 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण सं. 2/1, 2/2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/8 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में दर्ज रिकॉर्ड पर आधारित तथ्यों को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर डालते हुए, शेष तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 3 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपना रकबा में प्लॉट बनाकर इकरारनामा के आधार पर बेचान कर कब्जा मौका पर खरीददारान को सौंप दिया था। प्रार्थीगण का रकबा ही शेष नही रहा है। प्रार्थीगण का मौका पर एक ईंच रकबा पर कब्जा नही रहा है। मौका पर केवल अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बिना आधार के पेश किये जाने से निरस्त करने का निवेदन किया। जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 110 आर.डी.एल. के पत्थर नं. 128/24 (44) के किला नं. 1/52 में 0.126, 16/2 में 0.228, 24/1 में 0.101, 25/0.253=0.708 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 व पत्थर नं. 128/32 (45) के किला नं. 10/1 में 0.228, 11/0.253, 20/2 में 0.240=0.721 हैक्टर अ0क0 व पत्थर नं. 129/17 (55) के किला नं. 5/0.253 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.682 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त खाता में सहकाश्तकारों की संख्या बढ़ जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

BL

क्रमशः ..... पेज 4 पर

प्रार्थीगण को अपने हिस्सा की भूमि का विकास करने में समस्या का सामना करना पड रहा है। खाता विभाजन करवाने से पूर्व ही अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान करना चाहते है। यदि उन्होने ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। पूर्व में जारी स्थगन आदेश खारिज होते ही अप्रार्थीगण ने यदि जैरवाद भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित कर दिया जायेगा जिससे दावे के निर्णय व डिक्री की पालना नहीं हो सकेगी, इसलिए दावा में ज्यादा पेचिदगियां ना बढ़ें, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी स्थगन आदेश की मियाद ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर डी.एन.जे. 2023(1) पेज 595 व डी.एन.जे. 2021(2) पेज 901 प्रस्तुत की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1, 2/1 ता 2/8 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा अनेक लोगों को प्लाट बनाकर इकरारनामा के आधार पर बेचान कर दिया है। मौका पर खरीददारान को कब्जा सौंप दिया था। प्रार्थीगण का रकबा ही शेष नही रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का नाम रिकार्ड से कलमजन योग्य है। अप्रार्थी सं. 1, 2/1 ता 2/8 का अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त है। हमारी रिहायस है। प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थीगण का रकबा हड़पने की नियत से यह झुठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का अपने हिस्सा के रकबा पर एक ईंच भूमि पर भी कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। स्थगन के कारण अप्रार्थी सं. 2 के वारिसों के नाम इन्तकाल भी दर्ज नही हो रहा है। स्थगन जारी होने से अप्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान हो रहा है। सह खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार है। जैरप्रकरण रकबा का अप्रार्थीगण खातेदार कृषक है। बिना किसी ठोस कारण के खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला कतई नहीं बनता। सुविधा एवं सन्तुलन प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है। ना पुरा होने वाला नुकसान कतई साबित नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक [illegible] न.जे. 2023 पेज सं. 1426, आर.आर.टी. 2014–15 [illegible] 6 (1) पेज 113, आर.एल. डब्लयू. 2011 (2) पेज [illegible] (2) पेज 1392 का उल्लेख करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने [illegible] प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 110 आर. डी.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता नं. 7 नया 6 पुराना की

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

1.620 हैक्टर भूमि (0.545 हैक्टर कमाण्ड व 1.075 हैक्टर अनकमाण्ड) भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1–3 तथा अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/8 के पिता/दादा के नाम से अंकित है। उक्त रकबा उक्त खातेदारान के नाम से संयुक्त खाता में अंकित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि जैरवाद रकबा संयुक्त खाता का है तथा जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में होने के कारण उन्हे भूमि का विकास करने में समस्या आ रही है तथा अप्रार्थीगण संयुक्त खाता की भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि बेचान, रहन करने पर उतारू है। इसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 के पिता सत्यनारायण ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्सा का रकबा प्लॉट काटकर जरिये ईकरारनामा बेचान कर दिया है एवं मौका पर एक ईंच पर भी कब्जा नही है। इसलिये अब प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त कर पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी निरस्त करने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकार्य तथ्य है कि जैरप्रकरण रकबा संयुक्त खाता हैं। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पिता ने अपने हिस्सा का रकबा किसी को बेचान किया है। मात्र मौखिक कथनों से उनके तथ्यों को समर्थन प्राप्त नही होता है। यदि अप्रार्थीगण ने जैर प्रकरण रकबा में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर दिया तो दावा बेसुध हो जावेगा। इसलिये जैर प्रकरण रकबा में बेचान व दिगर तरीके से हस्तातंरण करने पर रोक लगाना उचित प्रतीत होता है तथा खातेदार को उनके हिस्सा तक रहन लेने से प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत नही है इसलिये रहन लेने की हद तक प्रतिबंध निरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से साबित है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 110 आर.डी.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता न. 7 नया [illegible] की 1.620 हैक्टर भूमि (0.545 हैक्टर कमाण्ड व 1.075 [illegible] का बेचान तथा दिगर तरीके से हस्तातंरित करने [illegible] द्वारा अपने हिस्सा की भूमि पर रहन लेने पर उक्त स्थगन लागू नही [illegible]। प्रकरण में ध्यान में आया है कि कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर अकृषि कार्य किया जा रहा है। इसलिये इस तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 6 पर

की जांच करवाई जानी आवश्यक है। इसलिये तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र जारी हो कि उक्त बिन्दु की जांच कर यदि कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया गया है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested